सेवामें,

श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट

एन०आई०एक्ट० केसेस क्रम संख्या-06, उदयपुर (राज०)

प्रस्तुतकर्ता :- परिवादी लापी कुमार

लापी कुमार :: बनाम :: लड्डू फाइनेंस कम्पनी

मुकदमा नंबर 129/18 रे०फौ०

<u>प्रार्थना पत्र बाबत चैक राशि की 20 प्रतिशत राशि दिलाये जाने हेतु ।</u>

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी परिवादी की और से निम्न निवेदन इस प्रकार से है की -

1. यह की उक्त प्रकरण में आज अभियुक्त द्वारा जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। कानूनन अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करने से पूर्व अभियुक्त से चैक राशि की 20 प्रतिशत राशि वसूल कर परिवादी को दिलाई जाना न्यायोचित है ।
2. यह की उक्त प्रकरण में परिवादी का पक्ष मजबूत है तथा उक्त मामला ठोस आधारों पर किया गया है जिसमे की परिवादी के पक्ष में फैसला होने की पूरी संभावना है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है की प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र स्वीकार फ़रमाया जाकर प्रश्नगत चैक की 20 प्रतिशत राशि अभियुक्त से वसूल कर परिवादी को दिलाई जावे एवं अभियुक्त द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उसे जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान नहीं किया जाने का आदेश फरमाया जावे ।

दिनांक :

स्थान : हस्ताक्षर प्रार्थी